संख्या-5/2018/ जी-2-128/दस-2018-301/85 टी0सी0

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2018

विषयः- **दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक मे वृद्धि।**

महोदय,

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि विषयक शासनादेश संख्या-1/2015 / जी-2-23/दस-2015-301/85 टी0सी0_दिनांक 16 फरवरी, 2015 द्वारा दैनिक वेतनभागी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दरें समूह 'ग' कर्मचारियों के लिये रू0 140.00 से बढ़ाकर रू0 200.00 प्रतिदिन तथा समूह 'घ' कर्मचारियों के लिये रू0 120.00 से बढ़ाकर रू0 170.00 प्रतिदिन किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश दिनांक 16 फरवरी, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान में कार्यरत सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वर्तमान पारिश्रमिक की दरों में (वर्तमान महंगाई के परिप्रेक्ष्य में) वृद्धि करते हुए समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए रू0 228.00 प्रतिदिन तथा समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए रू0 194.00 प्रतिदिन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त बढी हुई दरें इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव

संख्या-5/2018/ जी-2-128(1) /दस-2018-301/85 टी0सी0 ,तद्दिनांक

प्रतिदिन निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- विधान सभा एवं विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
4- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5- प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in